राजेन्द्र कुमार / रामचंद्र 46/2022

24/01/2022

पत्रावली पेश हो। वकील शान्ति
उपा० बरनवाल तलब पत्रावली
दि. 27/7/22 को पेश हो।

27/7/22

पत्रावली पेश हो। वकील शान्ती उपा०
विपक्षी क० 1 ता 6 की ओर के Ad श्री अरुण
चौधरी उपा० वकील उभय पक्ष मूल वाद के
निस्तारण तक उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबंद करवाने निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया।
मूलवाद बंटवारे के संबंधित है। जिसमें
प्रा० डिक्री पारित हो चुकी है। अतः मूल वाद
के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया
जाता है कि ख० नं० 401, 98 वाके ग्राम तालपुरा
खेजड़ोलियान व ख० नं० 135, 139, 137,
369/136, 370/136 व 371/136 वाके ग्राम
जगतपुरा तहसील धोद व जिला सीकर
में अवस्थित भूमि में राजस्व रिकार्ड
की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमारी नम्बर
नम्बर के कम है। दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

वादी वकील
(Dinesh)

प्रतिवादी
अधिवक्ता